

केंद्र ने CAA के तहत नागरिकता प्रदान की

स्रोत: द हिंदू

केंद्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम [Citizenship (Amendment) Act- CAA], 2019 के तहत आवेदन करने वाले 300 से अधिक लोगों को नागरिकता प्रमाण-पत्र प्रदान किये हैं।

- **नागरिकता संशोधन नयिम, 2024** को गृह मंत्रालय द्वारा 11 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया था, जिसने दिसंबर, 2019 में **संसद** द्वारा पारित होने के 4 वर्ष पश्चात् **CAA** के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त किया।
- **CAA 3 पड़ोसी देशों (अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान) के 6 गैर-मुसलमि समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई) के प्रवासियों (गैर-दस्तावेज़) को नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।**
- **धारा 6B (2019 के CAA द्वारा 1955 के नागरिकता अधिनियम में प्रस्तुत) उल्लिखित 3 पड़ोसी देशों के प्रवासियों के लिये देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की एक वशिष्ट प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करती है।**
 - इसने नागरिकता हेतु अर्हता प्राप्त करने की अवधि को मौजूदा 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया।
 - इस अधिनियम में कहा गया है कि ऐसे अल्पसंख्यकों को "अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा" तथा **उन्हें पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 एवं वदिशी अधिनियम, 1946 की धारा 3 के तहत दंडनीय धाराओं से छूट दी जाएगी।**
 - **धारा 6B** की प्रवृष्टि से ऐसे प्रवासियों को **पंजीकरण और देशीकरण** के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।

What the rules state

Centre has implemented CAA, 4yrs after the law was passed, as it notified rules ahead of expected announcement of LS polls

THE 39-PAGE NOTIFICATION... of the Citizenship (Amendment) Rules, 2024

...STATES THAT AN APPLICANT WILL HAVE TO SUBMIT

- | | | |
|--|---|--|
| ● Form VIII A, with affidavits verifying statements and character of applicant | ● Declaration that they have adequate knowledge of a language specified in 8th schedule of Constitution | ● Supporting papers like a passport, or identity document to show someone in lineage was a citizen of one of the three countries |
|--|---|--|

APPLICANT MUST ALSO PROVE

- | | |
|---|---|
| 1 They entered India before December 31, 2014 | 2 The applicant or either of his parents was a citizen of Independent India |
|---|---|

WHAT IS THE 2019 ACT?

CAA made people from Hindu, Sikh, Jain Buddhist, Christian and Parsi faiths who entered India from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan eligible for citizenship

और पढ़ें: [नागरिकता संशोधन अधिनियम: अनपेकड, केंद्र ने CAA कार्यान्वयन के लिये नयिमों को अधिसूचित किया, नागरिकता \(संशोधन\)](#)

